

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1985]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936

No. 1985]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

का.आ. 2514(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 537 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के **0.00 कि.मी. से 84.00 कि.मी. (पनवेल—इन्दापुर सेक्शन)** तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 अप्रैल, 2014 को “दैनिक कृषिवल” (मराठी) में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 0.00 कि.मी. से 84.00 कि.मी. तक (पनवेल—इन्दापुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण/गट संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				3(ए) के अनुसार	जे एम और 7/12 के अनुसार				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	रायगढ़	पेण	तरणखोप	35/2 भाग	35/2 भाग	निजी	नम	1250	रामचन्द्र नारायण पाटिल, पांडूरंग नारायण पाटिल, हीराचंद नारायण पाटिल, विलास नारायण पाटिल, सुभाष नारायण पाटिल

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी-1/11013/20/2007]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 25th September, 2014

S.O. 2514 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 537(E), dated the 25th February, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/four/six laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.17 on the stretch of land **km.0.00 to km. 84.00 (Panvel-Indapur section)** in Raigad District, in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Indian Express" (English) dated the 28th April, 2014 and "Dainik Krushival" (Marathi), dated the 28th April, 2014 under Sub-section (1) of Section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the right of way of National Highway No. 17 on the stretches of land from km. 0.00 to km. 84.00 (Panvel-Indapur section) in the State of Maharashtra.

Serial number	Name of district	Name of taluka	Name of village	Survey/Gut No.		Type of land	Nature of land	Area (in sq m)	Name of person interested
				As per 3(A)	As per JM & 7/12 Extract				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Raigad	Pen	Tarankhop	35/2 P	35/2 P	Private	Wet	1250	Ramchandra Narayan Patil, Pandurang Narayan Patil, Hirachand Narayan Patil, Vilas Narayan Patil, Subhash Narayan Patil.

[F. No. NHAI/BOT-I/11013/20/2007]

MAYA PRAKASH, Director